N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0106   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/05/2025 18:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 23/04/2025   Date To (दिनांक तक): 28/04/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 18:40 बजे   Time To (समय तक): 16:45 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/05/2025   Time (समय): 11:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/05/2025 18:21:17 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 70 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
      (b) Address(पता): RAJKIYA UP JILA SWASTHYA KENDRA KE PASS KASBA, DEVGARH,JILA RAJSAMAND
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEEPARAM REGAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHUMAJI REGAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PITAMPURA,DAULATPURA, DEVGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PITAMPURA,DAULATPURA, DEVGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVRAJ SINGH		पिता:TAHALA SINGH	1. GRAM AKBARPUR FAOJDAR,NAGAR,NAGAR,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2025 को परिवादी श्री दीपाराम रेगर की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जरिए व्हाट्सएप्प वाईस कोल हुई वार्ता में परिवादी ने मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि ग्राम पंचायत दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के पटवारी साहब श्री देवराज सिंह मेरे से मेरी पेतृक जमीन का बंटवारा करवाने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 30,000 रूपये की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। श्री देवराज सिंह पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। श्री देवराज सिंह पटवारी से मेरी कोई रूपयो की पुरानी लेन-देन बाकी नही है, और ना ही उनसे मेरी कोई रंजिश है। आप कानूनी कार्यवाही करावे। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री दीपाराम रेगर के पास कस्बा देवगढ भिजवाकर श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के मार्फत परिवादी श्री दीपाराम रेगर से कानूनी कार्यवाही बाबत् प्रार्थना पत्र प्राप्त करा परिवादी श्री दीपाराम रेगर एवं आरोपी श्री देवराज सिंह पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई जाकर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इसके पश्चात श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक ने अपने मोबाईल फोन से मन् अतिरक्त पुलिस अधीक्षक को फोन कर समस्त हालात निवेदन किये और परिवादी श्री दीपाराम रेगर मे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की वार्ता करवाई जिसमें परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने पटवारी साहब से वार्ता की तो पटवारी साहब ने मुझसे 30,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग नहीं कर, 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की हैं। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद समय 06.40 पीएम पर श्री यशवन्त सिंह व0 सहायक ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी श्री दीपाराम रेगर पिता श्री खुमा जी, जाति-रेगर, उम्र-51 वर्ष, निवासी ग्राम पितामपुरा, पटवार हल्का दोलपुरा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत हस्त लिखित प्रार्थना-पत्र मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि मैं प्रार्थी दीपाराम रेगर पिता श्री खुमा जी, जाति-रेगर, उम्र-51 वर्ष, निवासी ग्राम पितामपुरा, पटवार हल्का दोलपुरा, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की ओर से निवेदन इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पीतामपुरा में स्थित खाता संख्या 12 आराजी नम्बर 16 जो हम चारों भाईयों का एक बटा चार हिस्सा हमारे नाम से रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज हैं। मै मेरी जमीन का बंटवारा करवाने हेतु दौलपुरा पटवारी श्री देवराज सिंह जी से 5-6 दिन पूर्व मिला तो पटवारी साहब ने मुझसे मेरी जमीन का बंटवारा करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही करवाने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 30,000 रू. की मांग की। मैं श्री देवराज सिंह पटवारी साहब को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत राशि 30,000 रू. नहीं देना चाहता हुं एवं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी व पटवारी साहब की पुरानी कोई लेनदेन बकाया नहीं हैं नही मेरी कोई पटवारी साहब से दुश्मनी हैं रिपोर्ट करता हुं कानूनी कार्यवाही कराना फरमावें। मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.04.2025 को परिवादी व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता में परिवादी द्वारा संदिग्ध पटवारी द्वारा दिनांक 28.04.2025 को बुलाये जाने एवं रिश्वत राशि के रूप में 5,000 रूपये के असली नोटों की ही व्यवस्था होने एवं शेष 35,000 रूपये के डमी नोटों की व्यवस्था स्वयं द्वारा करने के लिए कहा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अपनी व्यवस्थानुसार 40,000 रूपये लेकर दिनांक 28.04.2025 को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया। इसके पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान एवं वाहन की आवश्यकता होने से कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमन्द जिला राजसमन्द एवं सचिव भूमि विकास बैंक राजसमन्द को तेहरीर जारी की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.04.2025 को समय 08.00 एएम पर पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमन्द जिला राजसमन्द एवं श्री संजय मीणा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमन्द जिला

राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात भूमि विकास बैंक राजसमन्द से अनुबंधित वाहन मय चालक के उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री दीपाराम रेगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री देवराज सिंह पटवारी साहब को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 5000 रूपये तो असली और 35,000 रूपये के डमी नोटो की व्यवस्था करके लाया हुं। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने श्री यशवन्त सिंह व0 स0 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर परिवादी से आवश्यक दरियाफ्त की गई। परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए कहा कि पटवारी साहब ने मुझसे पूर्व में 30,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी परन्तु दिनांक 23.04.25 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में पटवारी साहब ने मेरे से 40000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की । परिवादी ने दिनांक 23.04.25 को पटवारी साहब श्री देवराज सिंह से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी ने श्री जगदीश ई-मित्र को रिश्वत राशि देने हेतु कहा गया इस बाबत परिवादी से पुछा गया तो परिवादी श्री दीपाराम ने बताया कि श्री जगदीश ई-मित्र वाले को मैं अच्छी तरह से पहचनाता हूं वह रिश्वत राशि नहीं लेगा। रिश्वत राशि पटवारी साहब श्री देवराज सिंह को ही देना उचित रहेगा। तत्पश्चात कार्यालय में मौजुद दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक तेतरवाल एवं श्री संजय मीणा का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया । दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय कक्ष की आलमारी से निकलवाकर चालू कर दोनो गवाहान को सुनाई गई । दोनो स्वतंत्र गवाहान को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई । तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके पश्चात परिवादी की उपस्थिति में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में रिकोर्डशुदा परिवादी श्री दीपाराम रेगर एवं आरोपी श्री देवराज सिंह के मध्य दिनांक 23.04.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 से तैयार करवाई गई । इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दीपाराम रैगर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री दीपाराम रेगर ने अपने पास से व्यवस्थानुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट राशि 35,000 रूपये कुल राशि 40,000 रूपये प्रस्तुत किये । परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट जिनके नोटों के नम्बर इस प्रकार हैं- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DG 144684 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6PP 559643 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0FH 683527 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794824 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794825 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794826 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794827 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794829 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794819 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4BA 523567 परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त डमी नोटों की एक गड्डी वनाकर उक्त गड्डी की फोटों ली जाकर शामिल कार्यवाही की गई । परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री हेमराज कानि0 नं. 306 से कार्यालय कक्ष में रखी आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी श्री दीपाराम रेगर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त नोटों एवं एक सफेद रंग का लिफाफा जिस पर परिवादी की हस्तलिपि में चालीस हजार रूपये अंकित किया हुआ के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्री हेमराज कानि0 नं. 306 द्वारा उक्त समस्त नोटो एवं लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री दीपाराम रेगर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल कनिष्ठ लेखाकार से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को डमी नोटों की गड्डी में 5 नोट उपर व 5 नोट नीचे रखकर उक्त गड्डी को फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए सफेद रंग के लिफाफे में रखकर परिवादी श्री दीपाराम रेगर के शरीर पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी साईड की जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री हेमराज कानि0 नं. 306 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दीपाराम रेगर को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री हेमराज कानि0 नं. 306 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ । इस प्रकार परिवादी श्री दीपाराम रेगर तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर परिवादी को हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर पहनी हुई केप-टोपी को उतारकर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया । परिवादी श्री दीपाराम रेगर को डिजीटल वाइस रिकोर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईस कर डिजीटल वाइस रिकोर्डर परिवादी को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप

को उक्त डिजीटल वाइस रिकोर्डर में रिकोर्ड करें। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण एचसी नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं. 233 व श्री किशनाराम कानि. नं. 404 मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0-27-टी0ए0-6511 व चालक श्री सोहनलाल तथा ब्यूरो टीम के सदस्य श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 262 व परिवादी श्री दीपाराम रेगर मय डिजीटल वाइस रिकोर्डर के एवं श्री भुपेन्द्र कुमार कानि0 नं0 305 को प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से देवगढ के लिये रवाना कर साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण मय स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक तेतरवाल एवं श्री संजय मीणा ब्यूरो टीम के सदस्य श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 मय चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स व ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. आर0जे0-14-वी0सी0-2589 के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो देवगढ बस स्टेण्ड पहुंचे, जहां परिवादी श्री दीपाराम ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को कहा कि मेरी मोटरसाईकिल देवगढ बस स्टेण्ड रखी हुई है जो मैं मोटर साईकिल से मेला ग्राउण्ड देवगढ एकान्त स्थान पर ले लेता हूं जिस पर परिवादी ने बस स्टेण्ड देवगढ से अपनी निजी मोटर साईकिल लेकर आगे-आगे मेला ग्राउण्ड देवगढ के लिए रवाना कर पीछे-पीछे मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनों से रवाना हो मेला ग्राउण्ड देवगढ पहुंच मूकिम हुए। इसके पश्चात परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी को फोन लगवाकर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा श्री जगदीश ई-मित्र वाले को देने एवं पुन फोन करने की कहा। इसके पश्चात परिवादी को तहसील कार्यालय देवगढ के बाहर स्थित ई-मित्र की दुकान पर रिश्वत राशि श्री जगदीश को देने हेतु भिजवाया गया परन्तु श्री जगदीश ई-मित्र की दुकान पर नहीं मिला। इसके पश्चात परिवादी के मोबाईल फोन से पुन आरोपी को फोन लगवाकर वार्ता करवाई गई तो उक्त वार्ता में आरोपी ने देवगढ स्टेडियम की तरफ मिलने के लिए कहा। तत्पश्चात समय 04.29 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से उसके पास से डिजीटल वाइस रिकोर्डर को चालू कराया जाकर आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु मेला ग्राउण्ड स्टेडियम के सामने स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय देवगढ के पास स्थित टांक सोनोग्राफी के बाहर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनों से रवाना हो राजकीय उप जिला चिकित्सालय देवगढ के पास पहुंच अपने-अपने वाहनों को एक तरफ साईड में खडा कर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मूकिम रहे। तत्पश्चात परिवादी श्री दीपाराम रेगर द्वारा मुकिम स्थल पर अपने मोबाईल फोन से किसी से वार्ता करने के पश्चात, एक व्यक्ति जो अपनी बुलट बाईक से परिवादी के पास आता हैं और अपनी बुलट बाईक पर बैठे हुए ही परिवादी से वार्ता करता हैं तथा वार्ता करने के पश्चात परिवादी श्री दीपाराम रेगर अपनी दाहिनी जेब में रखे हुए रिश्वत राशि के लिफाफे को निकालकर उक्त व्यक्ति को देता हैं तथा उक्त व्यक्ति द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि के लिफाफे को अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेण्ट की दाहिनी जेब में रखता हैं जो हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण को नजर आ रहा था। तत्पश्चात परिवादी द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को समय करीब 04.45 पी0एम0 पर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर पहनी हुई केप-टोपी को उतारकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जो हम सभी ट्रेपपार्टी के सदस्यगण को नजर आ रहा था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक तेतरवाल व श्री संजय मीणा एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्रीमती सीता महिला हैड कानि0 नम्बर 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलकर जैसे ही परिवादी श्री दीपाराम रेगर के पास पहुंचे, तत्समय बुलट बाईक पर बैठे हुए उक्त व्यक्ति को संदेह होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपनी बुलट बाईक चालू कर भागने की कोशिश की जिस पर ब्यूरो जाब्ता द्वारा उक्त व्यक्ति को रोककर पकडा गया। इस दरमियान बुलट बाईक पर बैठा हुआ उक्त व्यक्ति व उसकी बुलट बाईक नीचे गिर गई। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को व उसकी बुलट बाईक को खडा कर उक्त व्यक्ति का एक हाथ कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार को एवं एक हाथ कानि0 श्री किशनाराम को कलाई से उपर पकडवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री दीपाराम रेगर ने डिजीटल वाइस रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यहीं श्री देवराज सिंह जी पटवारी साहब हैं जिन्होंने मुझे रिश्वत राशि लेकर देवगढ स्थित स्टेडियम के पास बुलाया था। इनके बताये अनुसार जब मैं यहां पर आया था तब श्री देवराज सिंह जी पटवारी साहब का मेरे पास फोन आया था और मुझसे पूछा कि आप कहां पर हो तो मैने सरकारी होस्पीटल के पास होना बताया। इसके थोडी देर बाद पटवारी साहब अपनी बुलट बाईक लेकर मेरे पास आये और मैने उनसे बात करने के बाद उनको रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा मेरी दाहिनी जेब से निकालकर दिया जो इन्होंने अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं जो रिश्वत राशि का लिफाफा अभी भी पटवारी साहब की उक्त जेब में रखा हुआ हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री देवराज सिंह पुत्र श्री टहला सिंह, उम्र 34 साल, जाति-जाट, निवासी ग्राम अकबरपुर फौजदार, पुलिस थाना व तहसील नगर जिला डीग हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द होना बताया। तत्पश्चात मौके पर आम लोगों की भारी भीड इकट्ठा

होने एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान पैदा होने की स्थिति के मध्य नजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री किशनाराम को आरोपी श्री देवराज सिंह की बुलट बाईक से, परिवादी को उसकी निजी मोटरसाईकिल से, श्रीमती सीता महिला हैड कानि0, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक व कानि0 श्री भूपेन्द्र को प्राईवेट वाहन से एवं श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक तेतरवाल व श्री संजय मीणा को भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो मय चालक के मुकिम स्थल से पुलिस थाना देवगढ पहुंचने की आवश्यक हिदायत कर आगे-आगे रवाना करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री देवराज सिंह को यथास्थिति में हमराह साथ ले मय ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार, कानि0 श्री भंवरदान मय ट्रेप बोक्स, लेपटोप, प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के मुकिम स्थल से रवाना हो समय 04.55 पी.एम. पर पुलिस थाना देवगढ पहुंचा । जहां पर परिवादी श्री दीपाराम रेगर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी साहब ने मुझे स्टेडियम के पास बुलाया था और मेरी पटवारी साहब से बात हुई थी तो पटवारी साहब ने कहा कि मैं चालीस से कम कर दूंगा, मैने पटवारी साहब को कहा कि मेरा काम करो, मैं पांच महिने से पटवारी साहब के पीछे-पीछे घूम रहा हूं, पटवारी साहब स्टेडियम के सामने मेरे पास आये थे जिनको मैने चालीस हजार रूपये दे दिये जो इन्होंने अपनी जेब में रख लिये जो इनकी जेब में हैं । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी श्री देवराज सिंह पटवारी को परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री देवराज सिंह पटवारी ने बताया कि मैं इनकी जमीन का मौका देखने गया, इनकी जमीन का मौका देखा, मौके पर नक्शे के हिसाब से इनका कब्जा ज्यादा था तो मैने मना कर दिया, यह माने नहीं और मेरे पीछे पड गये, इन्होंने कहा कि मेरी कण्डीशन खराब हैं मुझे मेरी जमीन बैचनी हैं, फिर मैने कहा देखो सिस्टम हैं और सिस्टम में सब चलता हैं फिर इन्होंने मुझे आगे चलकर दिये हैं। परिवादी द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा आरोपी श्री देवराज सिंह पटवारी द्वारा अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखना बताया हैं। इस हेतु रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल से आरोपी श्री देवराज सिंह की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब से एक सफेद रंग का लिफाफा बरामद हुआ जिस पर चालीस हजार रूपये लिखा हुआ होकर स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल से उक्त लिफाफे को खुलवाया गया तो लिफाफे में से 500-500 रूपये के कुछ नोट (भारतीय चलन मुद्रा-डमी नोट) बरामद हुए जिसे स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल से गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट राशि 35,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 40,000 रूपये होना बताया तथा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये के नम्बरो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी नोट एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट कुल राशि 35,000 रूपये पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी नोट जिसमें परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के फोटों से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये तथा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये के नम्बर समान पाये गये जो इस प्रकार है- 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DG 144684 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6PP 559643 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0FH 683527 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794824 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794825 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794826 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794827 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794829 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0QA 794819 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4BA 523567 उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि (भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट राशि 35,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 40,000 रूपये) को स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल से पुन उक्त सफेद लिफाफे में रखवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत कर सम्भलाई गई । आरोपी श्री देवराज सिंह ने परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष स्वत ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री दीपाराम जी ने अपनी पैतृक जमीन का बंटवारा करवाने के सम्बन्ध में मुझसे बात की थी, मैं मौका देखने के लिए गया था, श्री दीपाराम जी द्वारा नक्शे के हिसाब से मौके पर ज्यादा कब्जा किया हुआ था तो मैने मना कर दिया था तथा मैने श्री दीपाराम जी से कोई पैसे की मांग नहीं की थी, श्री दीपाराम जी ने स्वयं ही आगे चलकर मुझे रूपये ओफर किये थे । इस पर उपस्थित परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री देवराज सिंह पटवारी साहब झूठ बोल रहे हैं, मुझे मेरी पैतृक जमीन का बंटवारा करवाना था, इसलिए मैं पटवारी साहब से पहले मिला तब इन्होंने मेरे से मेरी पैतृक जमीन का बंटवारा करने की सम्पूर्ण कार्यवाही कराने की एवज में 30,000 रूपये की मांग की थी इसके बाद दिनांक 23.04.2025 को जब मैं पटवारी साहब से मिला तो इन्होंने मेरी पैतृक जमीन का बंटवारा कराने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, जिनकी मांग के अनुसार आज मैने पटवारी साहब को रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा इनको दिया जो इन्होंने मुझसे प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वाइस रिकोर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री देवराज

सिंह के समक्ष चालू कर आज दिनांक 28.04.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री देवराज सिंह द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व परिवादी श्री दीपाराम रेगर मे वार्ता होना स्वीकार किया । इसके उपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 23.04.2025 को परिवादी व आरोपी श्री देवराज सिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाइस रिकोर्डर को चालू कर आरोपी श्री देवराज सिंह को सुनाई गई तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व श्री दीपाराम रेगर से वार्ता होना स्वीकार किया तथा आरोपी श्री देवराज सिंह को उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान परिवादी की पैतृक जमीन का बंटवारा करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही कराने की एवज में रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग करने एवं मांग के अनुशरण में आज दिनांक 28.04.2025 को रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा ग्रहण करने के सम्बन्ध में आरोपी श्री देवराज सिंह से पूछा गया तो आरोपी ने अपना सिर झुका कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कहा कि साहब मुझे माफ कर दो, मैं आर.ए.एस. की तैयारी कर रहा हुं, मैं बदनाम हो जाउंगा और मेरी जिन्दगी बर्बाद हो जायेगी, मैं यह बदनामी सहन नहीं कर पाउंगा, मुझसे गलती हो गई ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा आप मेरी मदद करना । आरोपी श्री देवराज सिंह को उक्त रिश्वत राशि में ई-मित्र की दुकान संचालक श्री जगदीश एवं अन्य किसी का हिस्सा होने के सम्बन्ध में आरोपी से पूछा गया तो आरोपी ने मना करते हुए कहा कि इस रिश्वत राशि में किसी का हिस्सा नहीं हैं, यह रिश्वत राशि मैने अपने स्वयं के लिए ही ली हैं । चूंकी आरोपी श्री देवराज सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण एवं पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे हुए ट्रेप बोक्स को मंगवा कर ट्रेप बोक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । इसके पश्चात आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुआ हैं इस हेतु उक्त जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई उक्त आसमानी रंग की जीन्स पेण्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को उपलब्धानुसार लोवर पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री गोवन्द नारायण हैड कानि0 से ट्रेप बोक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया । उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आसमानी रंग की जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धौवण के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया । जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई । तत्पश्चात उक्त आसमानी रंग की जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात उक्त आसमानी रंग की जीन्स पेण्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई । इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट राशि 35,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 40,000 रूपये जो आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल के पास सफेद लिफाफा में सुरक्षित रखवाये गये थे जो सफेद लिफाफा स्वतंत्र गवाह श्री अशोक तेतरवाल द्वारा पेश किये जाने पर उक्त सफेद लिफाफा में से रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 70 डमी नोट राशि 35,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 40,000 रूपये बाहर निकलवाये जाकर भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 10 नोट राशि 5,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं डमी नोट

500-500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35,000 रूपये को भी अलग से एक सफेद कपडे की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् फिनोफ्थनील पाउडर लगा सफेद रंग का लिफाफा जिस पर चालीस हजार रूपये लिखा हुआ होकर जिसमें रिश्वत राशि रखवाई गई थी उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपी श्री देवराज सिंह के कस्बा देवगढ स्थित किराये के कमरे की खाना तलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना देवगढ पर प्रारम्भ करते हुए परिवादी, आरोपी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि मोबाईल वार्ताए-रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता (कुल 03 वार्ताओं) की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 श्री किशनाराम द्वारा मुर्तिब की गई। आरोपी श्री देवराज सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री देवराज सिंह को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री देवराज सिंह के किराये के कमरे की खाना तलाशी के वीडियो को एक रिक्त (खाली) पेनड्राईव geonix 16gb (बरंग सिल्वर) में सेव करवा उक्त पेनड्राईव की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर उक्त पेनड्राईव को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट करा मार्क PD अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 29.04.2025 को रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को एक रिक्त (खाली) पेनड्राईव geonix 16gb (बरंग सिल्वर) में सेव करवा उक्त पेनड्राईव की हैश वैल्यू निकलवाई जाकर उक्त पेनड्राईव को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट करा मार्क PD-1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री देवराज सिंह के किराये के कमरे की खाना तलाशी एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही का वीडियों जो श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 के मोबाईल फोन के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला-आसमानी में रिकोर्ड किया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में नियमानुसार सीलडचिट किया जाकर मार्क-M अंकित किया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.04.2025 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 28.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ताएं-रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्तालाप को तीन खाली (रिक्त) पेनड्राईव geonix 16GB (बरंग सिल्वर) में सेव करवाये जाकर एक पेन ड्राईव पर मूल एवं एक पेन ड्राईव पर डब तथा एक पेन ड्राईव आई.ओ. के लिए तैयार किया गया तथा मूल पेन ड्राईव की हैश वेल्यु निकलवाई जाकर मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क PD-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 23.04.2025 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 28.04.2025 को हुई मोबाईल वार्ताएं-रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्तालाप का मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला-आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सीलडचिट किया जाकर मार्क- M-1 अंकित किया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के फर्द नष्टीकरण सील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थियों से पाया गया कि आरोपी श्री देवराज सिंह हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री दीपाराम रेगर की राजस्व ग्राम पितामपुरा में स्थित खाता संख्या 12 आराजी नम्बर 16 जो परिवादी सहित उसके चारों भाईयों की पैतृक जमीन है जिसमें सभी चारों भाईयों का हिस्सा एक बटा चार भाग समान रूप से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हैं। आरोपी श्री देवराज सिंह पटवारी हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 23.04.2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता में परिवादी श्री दीपाराम रेगर की पैतृक जमीन का बंटवारा करवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही कराने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 28.04.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी द्वारा परिवादी श्री दीपाराम रेगर से रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे जहां से उक्त रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी श्री देवराज सिंह द्वारा परिवादी श्री दीपाराम रेगर से रिश्वत राशि 40,000 रूपये का लिफाफा ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत आरोपी के दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ के धोवण का रंग मटमेला होना एवं आरोपी की पहनी हुई जीन्स पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब का धोवण का रंग गुलाबी होना, आरोपी श्री देवराज सिंह पुत्र श्री टहला

सिंह, उम्र 34 साल, जाति-जाट, निवासी ग्राम अकबरपुर फौजदार, पुलिस थाना व तहसील नगर जिला डीग हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री देवराज सिंह के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है । भवदीय, (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द............. कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवराज सिंह पुत्र श्री टहला सिंह, उम्र 34 साल, जाति-जाट, निवासी ग्राम अकबरपुर फौजदार, पुलिस थाना व तहसील नगर जिला डीग हाल पटवारी पटवार हल्का दोलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. शोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 10 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 602-05 दिनांक 01-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-जिला कलक्टर, राजसमंद। 4 -अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/05/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/08/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)